



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि में निगम के माध्यम से
संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds) के प्रदाय हेतु
रेट कांट्रैक्ट प्रपत्र (RCO)

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक 03.03.2025
प्री-बिड मीटिंग की निर्धारित दिनांक 20.02.2025

प्रबंधक (उद्यान)



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2024-25/3969

भोपाल, दिनांक 07.02.2025

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2025-26 एवं आगे की अवधि के लिये निम्नानुसार सामग्री के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रं.	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
3	संकर सब्जी बीज (Hybrid vegetable seed) के प्रदाय हेतु	रु 5900/-	रु 1,00,000/-

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक **03.03.2025** को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाइट mpagro.org पर उपलब्ध है, दस्तावेज www.mptenders.gov.in से ही अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाइट पर डाउनलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) संकर सब्जी बीज (Hybrid vegetable seed)

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 22 पृष्ठ का है :

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)	परिशिष्ट 1	5
2	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1	5
3	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 1	5
4	निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	परिशिष्ट 1	6
5	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	7-12
6	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।	परिशिष्ट 3	13
7	राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 4 एवं 4 (अ)	14-15
8	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ट 5	16
9	वर्ष 2025-26 में निगम के माध्यम से संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर	परिशिष्ट 6	17
10	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 7	18
11	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी डीलर को जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ट 8	19
12	वित्तीय ऑफर का प्रारूप	परिशिष्ट 9	20-22



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohobpl@gmail.com, Website- mpagro.org

आरसीओ प्रपत्र में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:-

निगम	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल)
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई.एम.डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohobpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट- 1

1. अस्वीकरणीय (DISCLAIMER) -

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई हैं तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टि आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक **20.02.2025** को अपरान्ह 5.00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिये गये निर्णय के संबंध में जानकारी www.mptenders.gov.in एवं mpagro.org पर अपलोड किया जाएगा।

दिनांक **20.02.2025** को अपरान्ह 5.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत वांछित सामग्री का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को सामग्री का प्रदाय विकासखण्ड स्तर/प्रदाय आदेश में उल्लेखित स्थल तक निर्धारित समय सीमा में करना होगा।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

- 3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाइट पर अपलोड करें। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- 3.2 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.जी अथवा पी. डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3.3 वेबसाइट से अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों।
- 3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
- 3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।
- 3.8 वेण्डर द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर कय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

4. ऑफर प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 10.02.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	100000/- (एक लाख मात्र)
ऑनलाइन निविदा वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 03.03.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 20.02.2025 अपरान्ह 3.00 बजे तक मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में मेजनाईन तल में होगी।
प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 21.02.2025 को अपरान्ह 5.00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकी निविदा के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा)	दिनांक 03.03.2025 अपरान्ह 3.00 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	तकनीकी बिड प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सूचना निगम की वेबसाईट mpagro.org एवं www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

नोट— उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन मात्र ऑनलाइन निगम की website mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में वेबसाईट पर समय-समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति से अवगत हों।

प्रबंधक (उद्यान)



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट- 2

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सामान्य शर्तें

वर्ष 2025-26 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कान्ट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता — रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु ऑफरकर्ता की अर्हताएं परिशिष्ट क्र. 3 अनुसार रहेंगी।
2. आर.सी.ओ प्रपत्र का क्रय— रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नहीं) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।
3. प्री-बिड मीटिंग— रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुसार उल्लेखित तिथि में निगम मुख्यालय में मेजेनाइन तल के मीटिंग हाल में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कान्ट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव दिनांक नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरांत रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेंगी, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली-भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।
4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
 - (अ) वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।
 - (ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा। यदि उत्पादक संस्था एवं उनके अधिकृत विक्रेता, दोनों के ही द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं, तो ऐसे दोनों ऑफर्स को अमान्य किया जाएगा।
 - (स) वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।
 - (द) सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट— निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा।
 - (इ) सैंपल प्रस्तुत किये जाना— ऑफरकर्ता द्वारा जिन सामग्रियों की दरें प्रस्तुत की जा रही हैं, उनके द्वारा ऑफर प्रस्तुत करने की नियत तिथि एवं समय सीमा अवधि में 03 नमूना सैंपल (3 से 10 ग्राम तक) डाक एवं हस्तगत रूप से निगम द्वारा मांगवाये जा सकते हैं, जिने प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (ज) स्टार्टअप के लिए प्रावधान—
भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(फ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान—

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ग) सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान—

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी।

भण्डार क्रय नियम 2015 की कंडिका क्रमांक 25.3 के अनुसार RCO फार्म की फीस में छूट दी जायेगी। पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट:— ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ सामग्री की गुणवत्ता / प्रदायगी के संबंध निगम का कोई विवाद, वाद या न्यायालयीन प्रकरण, अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।

5. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त दरों की वैधता

- 5.1 ऑफरकर्ता को www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध वित्तीय निविदा (BOQ) में ऑनलाइन दरें प्रस्तुत की जाना होंगी। आवेदको की सुविधा हेतु वित्तीय निविदा (BOQ) परिशिष्ट क्रं. 9 पर प्रदर्शित है।
- 5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की शर्त क्रमांक 15 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक बढ़ाया जा सकता है।
- 5.5 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी, अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर दें। निगम के प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें।

6. संकल्प धन राशि (EMD) :

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रु. 1,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।
2. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना** —संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :—
 - 2.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
 - 2.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 - 2.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
 - 2.4 दरें स्वीकृत होने की दशा में नियत समय में अनुबंध निष्पादित नहीं होने की दशा में।

7. धरोहर राशि :

- (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

- (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- (स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
- (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।
 - (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में
 - (3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।
 - (4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

8 ऑफर की गई दर की वैधता

स्वीकृत ऑफर की दर आफर का खोले जाने की दिनांक से आगामी 90 दिवस तक वैध रहेगी।

9 रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना

1. नियत तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम उपर्युक्त वर्णित (परिशिष्ट क्रं. 1) तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।
2. आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर किया जावेगा।
3. परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
4. आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थिति हो सकते हैं।
5. रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

10 अनुबंध का निष्पादन— आफरकर्ताओं द्वारा आर.सी.ओ. दस्तावेज में निर्धारित अर्हताओं व तकनीकी मापदण्ड के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा की जावेगी एवं समिति की अनुशंसा के अनुसार निर्णय लिया जाकर अर्हताओं की पूर्ति करने वाले ऑफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। आफरकर्ताओं के चयन हेतु निगम के प्रबंध संचालक प्रक्रिया के निर्धारण हेतु स्वतंत्र है। निगम एक या एक से अधिक संख्या में प्रदायकों का चयन रेट कान्ट्रेक्ट करने के लिये कर सकता है।

- (अ) जिन आफरकर्ताओं की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 4 एवं 4 (अ)) के अनुसार राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
- (ब) आफरकर्ताओं जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।
- (स) निगम द्वारा जारी अनुबंधित दरें प्रथम दर प्रसारण दिनांक से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेंगी। परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नवीन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।
- (द) अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंगे।

11. दरें स्वीकार की जाना :

- 11.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 11.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। ऐसे आफरकर्ता जिन्हें प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं हैं, को "प्रतिप्रस्तावित दरों के बाबत सूचना निगम हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा

प्रबंध संचालक द्वारा आवश्यकता अनुसार सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किये जाने हेतु मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय को अधिकृत किया जा सकेगा। इसका विवरण अनुमोदित दर प्रपत्र जारी किये जाने पर या मुख्यालय स्तर से पृथक से सूचना जारी की जा सकेगी।

प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 25 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में मात्रा व पैकिंग एवं आरसीओ की शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

1. निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
2. परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।
3. क्रेता विभाग की आवश्यकता अनुसार वांछित मात्रा में पैकिंग कर प्रदायक को प्रदायगी की जाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार पैकेट पर सीड एक्ट/राज्य/केंद्र शासन के प्राधिकृत विभागों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप जानकारी अंकित की जाना आवश्यक है।
4. आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
5. प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवे सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारहवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जाने वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

6. सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर क्यकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।
7. गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते क्रेता/उपयोक्ता द्वारा निगम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के क्रम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित क्रेता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन कर सकेगा।
8. प्रदायक द्वारा बीज प्रदायगी के प्रकरण में बीज अधिनियम-1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण अधेश 1983 के निर्धारित मापदण्ड एवं समय समय पर अद्यतन निर्देश पूरे करने होंगे।
9. बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेंगे।
13. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :** आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/ पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-
 - (अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।
 - (ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।
 यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा ।
14. **भुगतान :-** निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-
 - (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरित पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 से 10 दिवस में किया जावेगा ।
 - (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग/कृषक तथा निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरित संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 180 दिवस में किया जावेगा किया जा सकेगा।
 - (स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय-सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।
15. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

16. निगम शासकीय संस्थाएं/कृषि विश्वविद्यालय/कोआपरेटिव्ह सेक्टर जो निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों को पूरा करती हो, को प्राथमिकता दे सकता है व धरोहर राशि जमा करने तथा सीधे अनुबंध करने की कार्यवही कर सकता है।
17. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।
18. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकार होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
19. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेंगे।
21. प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रदाय के विरुद्ध पेनाल्टी लगाये जाने, शर्तों के उल्लंघन से होने वाली राशि निर्धारण कर, उसकी वसूली प्रदायक से करने तथा अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने तथा/अथवा प्रदायक को निगम के साथ निश्चित समय सीमा तक कार्य करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

22. क्रय प्राथमिकता

- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उर्पाजन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) की कण्डिका 23.1 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्री या उत्पादों की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी, उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे :-
- (1) यदि एल-1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में दर प्रस्तुत की गई है, को एल-1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी।
 - (2) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल-1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जायेगी।
 - (3) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल-1, दर पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय एल-1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा।
 - (4) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।
 - (5) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए उपार्जन (25% में से 3%) किया जायेगा। उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जायेगी।
23. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 24. यदि किसी भी न्यायालय के आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आरबीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट 3

1. तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण
1	भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र
2	कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा हायब्रिड किस्म (आफरकर्ता द्वारा यदि आफर की गई है) को उत्पादित किया गया है, के द्वारा जारी पेरेंटल लाइन एवं जेनेटिक प्यूरिटी के संबंध में पत्र
3	निजी क्षेत्र के उत्पादक जिनके द्वारा रिसर्च किस्म का उत्पादन लिया गया है ऐसी रिसर्च किस्म के संबंध में मध्यप्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट
4	आफर किये गये हायब्रिड बीज अथवा आयातित बीज की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों/म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पत्र
5	आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराइटल केरेक्टरस्टिक के लिये ब्रीडर द्वारा जारी विस्तृत विवरण पत्र
6	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।
7	बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति
8	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
9	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
11	बीजों के संबंध में प्रिंटेड लिटरैचर
12	प्राइस लिस्ट जिसमें एम.आर.पी., डीलर प्राइस लिस्ट एवं प्रदाय की शर्तों का उल्लेख हो की स्व-प्रमाणित प्रति
13	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट क्रं. 6 के अनुसार राशि रु 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
14	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर.सी.ओ. प्रपत्र अपलोड किया जाना है।
15	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र (परिशिष्ट क्रमांक 8) कंपनी होने की दशा में रेटकान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में कंपनी का इस संबंध में बोर्ड रिज्यूलेशन संलग्न किया जाना आवश्यक है (परिशिष्ट क्रमांक 5)।
16	वितरक होने की दशा में बीज विक्रय लायसेन्स की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो
17	स्टार्टअप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आरसीओ की आवश्यकता अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। वांछित दस्तावेज के अभाव में निगम द्वारा आफर को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसके लिये आफरकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2. वित्तीय आफर –परिशिष्ट क्रमांक 9 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट क्रमांक-4

:: अनुबंध का प्रारूप ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रदाय हेतु दिनांक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है एवं प्रदायक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे। शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर व संलग्नक जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक

प्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

गवाह :

1.

1.

2.

2.

प्रदायक का नाम एवं पता

.....

फोन नम्बर

फैक्स नम्बर

मोबाईल नं.

क्र०	बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रुपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

AUTHORITY LETTER FOR AUTHORIZED SIGNATORY
(ON OFFRER'S LETTER HEAD)

We have gone through the terms and condition of Rate Contract Offer Document invited by the Corporation and Shri Designation (Aadhaar No.....) is hereby authorized to submit Rate contract Offer document for supply of on behalf of us.

We also undertake that the undersigned is authorized to sign this Certificate on behalf of the company.

Authorized Signatory
Seal
Name and Designation

(Signature of Shri)

VERIFIED

Authorized Signatory

Seal

Name and Designation

Note :

- *To be submitted in original.*
- *In Case of Company it should be supported with board resolution. In other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner.*
- *It should be supported with copy of Aadhar Number duly signed by the person signing the Documents*



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट क्रमांक-6

वर्ष 2025-26 में निगम के माध्यम से संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्सद्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रुपये/- एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रुपये/- प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में मैं धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदनुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट क्रमांक 7

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPN.LTD.
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL**

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	----- -----
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Email :
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No: Date:
5	GST Registration number.	
6	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If yes, give complete details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.	-----
11	Do you have any associate company(s)?	-----
12	Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.	-----
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	-----
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	-----

नोट- सुस्पष्टता के लिये जानकारी टाईप करके ही प्रस्तुत की जाये।

Signature of Offerer



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट क्रमांक 8

AUTHORITY LETTER FOR DEALER
(On MANUFACTURER/IMPORTER'S LETTER HEAD)

This is to certify that M/s ----- having it's office at -----
---- (complete address) is our Authorized Distributor for Madhya Pradesh for Hybrid vegetable
Seeds Produce/ Imported by our Company by this company.

We have gone through the terms and conditions of Registration cum Bid Registration
document invited by the Corporation and we undertake that as a manufacturer/Importer, we are
also responsible for the quality of material supplied against the contract through authorized
distributor. We also undertake that we are not participating directly/ through any other dealer in
the process.

We also undertake that the undersigned is authorised to sign this Certificate on behalf of the
company.

Authorized Signatory

Seal

Name and Designation

Note :

- To be submitted in original.



मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
Tel. : 0755- 2551756, Email - mpagrohbpl@gmail.com, Website- mpagro.org

परिशिष्ट क्रमांक-9

वर्ष 2025-26 एवं आगे के लिये
वित्तीय आफर का प्रारूप (FINANCIAL OFFER) – प्रारूप

01. NAME OF THE OFFERER

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY To Be Filled by Offere	Nos	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
Hybrid vegitable and Flower seed									
1.01	TOMATO (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	BOTTLE GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	BITTER GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	SPONGE GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.05	OKRA (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.06	CHILLY (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.07	CAULI FLOWER (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.08	PUMPKIN (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	BRINJAL (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.10	CABBAGE (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.11	CAPSICUM (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.12	WATER MELON (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.13	MUSK MELON (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.14	ONION (1 KG) (Kharif & Rabi)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.15	TINDA (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.16	SPINY GOURG (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.17	CUCUMBER (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.18	PARWAL (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.19	GUARFALI (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.20	BARBATI (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.21	SPINACH (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.22	KUNDRU (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.23	CARROT (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.24	GREEN PEA (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.25	RADISH (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.26	TURNIP (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.27	BEEROOT (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.28	BEANS (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.29	FRENCH SEED (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.30	TORAI (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only